रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 119] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 25, 2014/वैशाख 5, 1936
No. 119] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 25, 2014/VAISAKHA 5, 1936

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

(विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2014

संख्या 001/2014/मिसिल सं. एस आर/एस 9/जेड-08/2011.—विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड अधिनियम, 2008 (2009 का 9) की धारा 21 के साथ पठित धारा 4 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड के सचिव की अर्हताओं, सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखत नियम बनाता है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड (सचिव सेवा और भर्ती के निबंधन और शर्तें) नियम, 2014 कहा जा सकता है।

   (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या उनका वर्गीकरण और उनका वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान है वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (12) में विनिर्दिष्ट है ।

4. **सेवा की शर्तें.**—वेतन, भत्तों, छुट्टी, कार्यग्रहण अवधि, भविष्य निधि, सेवानिवृत्ति की आयु, चिकित्सा सुविधाओं और सेवा की अन्य दशाओं के संबंध में विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड के सचिव की सेवा की दशाओं को उन स्थानों पर कुछ समय के लिए केन्द्रीय सरकार से संबंध रखने वाले संगत अधिकारी तथा कर्मचारियों को प्राप्त वेतन श्रृंखला और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान विषयक इन नियमों तथा विनियमों के अनुसार नियंत्रित किया जाएगा।

5. **शासकीय विदेश दौरा.**---सचिव द्वारा शासकीय विदेश दौरे अध्यक्ष (एस ई आर बी) के अनुमोदन से सम्पन्न किये जाएंगे और समय–समय पर क़ेन्द्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों और अनुदेशों के अनुसार विनियमित किए जाएंगे।

6. **निरर्हता:-**

   वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है।

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

7. **भर्ती की पद्धति** – (1) खोज –सह- चयन समिति जिसका संगठन निम्नलिखित है द्वारा सचिव का चयन किया जाएगा अर्थात् :

(1) मंत्रिमंडल सचिव - अध्यक्ष

(2) प्रधान मंत्री का प्रधान सचिव - सदस्य

(3) सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग - सदस्य

(4) सचिव, जैव प्रौद्योगिकी विभाग - सदस्य

(5) सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग – सदस्य

(6) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से अधिमानतः सर्वोत्कृष्ट अनुसंधान विषयक रिकार्ड वाले एक बाह्य विशेषज्ञ को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से सदस्य सहयोजित किया जा सकता है।

8. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके इस विनियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल की जाएगी।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान	क्या पद चयन पद है अथवा गैर - चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. सचिव	1(2014)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित (अनुसचिवीय वैज्ञानिक और प्रशासनिक)	रु. 80,000 नियत	लागू नहीं होता	50 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी निदेशों और आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष की छूट) **टिप्पण:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की नियत की गई, अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य का लद्दाख प्रभाग, लाहौल और स्पीती जिले हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के उप–प्रभाग पांगी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्ष्यद्वीप संघ क्षेत्रों के लिए निहित की गई है।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों को लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि है	**भर्ती की पद्धति:** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्त/ आमेलन द्वारा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक : (i) मापनीय शोध निष्कर्ष निर्देशकों के रूप में सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान के सिद्ध अभिलेख के साथ विज्ञान और इंजीनियरी में डॉक्टरेट डिग्री **अनुभव :** (i) संकाय सदस्य अथवा वैज्ञानिक अथवा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय अथवा अनुसंधान संस्थानों अथवा सरकार अथवा निगमित क्षेत्र की अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं में अठारह वर्ष का अनुभव;	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा (लघु अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके ना हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।) **टिप्पण** 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक

(ii) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान पत्रिकाओं में प्रकाशित मूल शोध कार्य (iii) अनुसंधान और विकास में छह वर्षों का प्रशासनिक अनुभव			नहीं होगी। **टिप्पण 3**: प्रतिनियुक्ति/ आमेलन के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजनों के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले की गई, सेवा अथवा वह तारीख जिससे छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार है, को नियमित आधार पर, कथित वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित संगत ग्रेड वेतन अथवा वर्धित वेतनमान में सेवा माना जाएगा सिवाय उसके जहां एक से अधिक पूर्व – पुनरीक्षित वेतनमान एक साधारण ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान में मिला दिए गए हों और जहां, इसका फायदा केवल उन पद (पदों) के लिए हो जिनके लिए ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान बिना किसी उन्यन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड हो।

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/ आमेलन के मामले में ग्रेड जिन पर प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है।
(11)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): भारत में केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा अर्ध सरकारी अथवा वैज्ञानिक कानूनी अथवा स्वायत्तशासी संगठनों में कार्यरत वैज्ञानिक अथवा प्रौद्योगिकीविद- (क)(i) जो मूल कैडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण कर रहे हैं; अथवा (ii) एच ए जी + वेतनमान में एक वर्ष की सेवा; अथवा (iii) एच ए जी में दो वर्ष की सेवा; और (ख) स्तंभ 7 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं रखता हो। **टिप्पण 1**: प्रतिनियुक्ति की अवधि, इस नियुक्ति के पहले केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में धारित किसी अन्य बाह्य - कैडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित, सामान्यतः पांच वर्ष अथवा अर्धवार्षिता की आयु होने तक जो भी कम हो। **टिप्पण 2**: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
(12)
लागू नहीं होता।

मधु वधावन सिन्हा, निदेशक

[विज्ञापन III/4/असा./191-I/14]

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(Department of Science and Technology)

(SCIENCE AND ENGINEERING RESEARCH BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th April, 2014

No. 001/2014/F. No. SR/S9/Z-08/2011.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 4 read with Section 21 of the Science and Engineering Research Board Act, 2008 (9 of 2009), the Science and Engineering Research Board, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, regulating the qualifications and other terms and conditions of service of the Secretary Science and Engineering Research Board, namely:—

1. **Short title and commencement.–** (1) These regulations may be called the Science and Engineering Research Board (Secretary, Terms and Conditions of Service and Recruitment) Regulations, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.–** The number of post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (12) of the aforesaid Schedule.

4. **Conditions of Service.**—The conditions of Service of the Secretary to the Science and Engineering Research Board in the matters of pay, allowances, leave, provident fund, age of superannuation, retirement benefits, medical facilities and other conditions of service, shall be regulated in accordance with such rules and regulations as are for the time being applicable to the officers and employees of the Central Government belonging to Group 'A' of the corresponding pay band and grade pay or pay scale stationed at those places.

5. **Official visits abroad.**—Official visits abroad by the Secretary of the Board shall be undertaken with approval of the Chairman and shall be regulated as per the guidelines or instructions issued by the Central Government from time to time.

6. **Disqualification.**—

No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Board may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. **Mode of recruitment.**—(1) The Secretary shall be appointed by a Search-cum-Selection Committee consisting of the following, namely:—

(1) Cabinet Secretary –Chairman

(2) Principal Secretary to the Prime Minister – Member

(3) Secretary, Department of Science and Technology –Member

(4) Secretary, Department of Biotechnology – Member

(5) Secretary – Department of Personnel and Training – Member.

(6) An outside expert member with outstanding research track record preferably from the field of science and technology may be co-opted with the approval of the competent authority.

8. **Power to relax.**– Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons

SCHEDULE

Name of Post	Number of post	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Secretary	1 (2014)	General Central Service Group 'A' Gazetted (Non-Ministerial, Scientific and Administrative).	₹ 80,000 fixed	Not applicable	Not exceeding 50 years. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) **Note 1:** The crucial date for determining the age limit shall be closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union Territories of Andaman and Nicobar Islands or

					Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential : (i) Doctorate degree in Science or Engineering with proven track record of outstanding research as measured on a scalable research outcome indicators. **Experience :** (i) Eighteen years as faculty or scientist of recognised national or International Universities or Research Institutions or Research and Development Laboratories of the Government or Corporate; (ii) original research work published in national and international research journals; and (iii) administrative experience of six years' in research and development.	Not applicable	Not applicable	By deputation (including short term contract) failing which by direct recruitment. **Note 1:** The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 2:** The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications. **Note 3:** For the purposes of appointment on deputation/absorption, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which the promotion or deputation/absorption to be made
(11)
Deputation (including short term contract): Scientists or Technologists working in the Central Government or State Governments or Universities or Recognised Research Institutions or Semi Government or Statutory or Autonomous Organisations in India— (a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with one year service in the HAG + Scale; or (iii) with two years' service in the HAG; and (b) possessing the educational qualifications prescribed for direct recruits under column 7. **Note 1:** The period of deputation, including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed five years or superannuation whichever is earlier. **Note 2:** The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application.

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)
Not applicable.

MADHU WADHAWAN SINHA, Director

[ADVT. III/4/Exty./191-I/14]

1765 GI/14-2

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.